



LALITPUR POLICE



प्रेस नोट

दिनांक-08.07.2024

थाना बानपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार **घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व कारतूस हुए बरामद**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी महारौनी श्री अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना बानपुर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 174/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त नरेंद्र सिंह राजपूत पुत्र श्री प्रकाश राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पिपरासनभूट थाना भानगढ़ जनपद सागर मध्य प्रदेश को गईया घाट तिराहा थाना बानपुर से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का विवरण- मुकदमा वादिया ने थाना पर तहरीर देकर बताया कि अभियुक्त/पति नरेन्द्र पुत्र प्रकाश लोधी निवासी पिपरासन थाना भानगढ़ जिला सागर म0प्र0 द्वारा वादिया के भाई तिलक लोधी पुत्र मखन लोधी नि0 ग्राम दैलवारा थाना बानपुर जनपद ललितपुर को गोली मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में।

सूचना के आधार पर थाना बानपुर में दिनांक 07.07.2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बानपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त नरेन्द्र लोधी ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 6/07/2024 को मैं अपने ससुराल ग्राम दैलवारा थाना बानपुर जनपद ललितपुर अपनी पत्नी को लेने आया हुआ था। ससुराल आने के बाद मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि मुझे अपनी बीवी को लेकर अपने साथ जाना है, मेरे साथ भेज दो क्योंकि मैं इन्दौर जा रहा हूँ। इसके बाद ससुराल वालों ने मुझसे कहा कि हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं भेजेगे जिससे ससुराल वालों से मेरा वाद - विवाद और झगड़ा होने लगा। इसके बाद मैं वहां से चला आया, और कुछ दूर स्कूल के पास आकर अपने साले तिलक लोधी को फोन करके बुलाया। मेरा साला तिलक वहां पर आ गया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ग्राम गुगरवारा के पास सड़क के किनारे हम दोनों लोगो ने शराब पी। शराब पीने के बाद हम दोनों लोगो का विदाई को लेकर तथा पूर्व में तिलक ने मुझसे ₹10000 उधार लिए थे, वह रुपये मैंने जब उससे मांगे तो उसने कहा कि नहीं दूंगा जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको गोली मार दी और भाग गया फिर आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया। साहब मुझसे गलती हो गयी है मुझे माफ कर दीजिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

नरेंद्र सिंह राजपूत पुत्र श्री प्रकाश राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पिपरासनभूट थाना भानगढ़ जनपद सागर मध्य प्रदेश

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. सियाराम पटेल थानाध्यक्ष बानपुर जनपद ललितपुर
2. उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार थाना बानपुर जनपद ललितपुर
3. का0 रविन्द्र कुमार थाना बानपुर जनपद ललितपुर
4. का0 प्रशान्त कुमार राजपूत थाना बानपुर जनपद ललितपुर
5. का0 मनीष कुमार थाना बानपुर जनपद ललितपुर